रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 1972/ज्येष्ठ 15, 1894
No. 123] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 1972/JYAISTHA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June 1972

No. 37/1/IV/72/T.—The following order by the President dated the 3rd June, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

June 3, 1972.

V. V. GIRI,
President."

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1972

संख्या 37/1/4/72/टी० .—राष्ट्रपति का दिनांक 3 जून, 1972 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक-सभा का सत्रावसान करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

3 जून, 1972

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972